



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 29.01.2025

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 43 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 43 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कोकिल पुत्र जयपाल निवासी ग्राम नाला थाना कांधला जनपद शामिल ।

### बरामदगी का विवरण-

- 43 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना रमाला।
- 2- उ0नि0 श्री प्रियान्शु थाना रमाला
- 3-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप थाना रमाला



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 29.01.25

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 31/25 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 31/25 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित चल रहे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. शोएब मलिक पुत्र जहीर निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार अभियुक्त शोएब का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 166/24 धारा 411/413 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 199/24 धारा 411/413 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 240/24 धारा 317(2)/317(4) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
4. मु0अ0सं0 245/24 धारा 317(2)/317(4) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
5. मु0अ0सं0 31/25 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकड़ा ।
2. का0 164 नितिन कुमार थाना खेकड़ा ।
3. का0 1083 शुभम राणा थाना खेकड़ा ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 29/01/25

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 36/25 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया । आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहिद उर्फ बिल्ली पुत्र सलीमुद्दीन निवासी मौ शेखपुरा करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध चाकू ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास अभियुक्त:-

1. मु0अ0स0 282/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा ।
2. मु0अ0स0 380/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा ।
3. मु0अ0सं0 28/25 धारा 13 जुआ अधि0 थाना खेकडा ।
4. मु0अ0सं0 36/25 धारा 13 जुआ अधि0 थाना खेकडा ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

- 2-उ0नि0 555 रवि कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

3-का0 535 अतुल कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 29.01.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 51/25 धारा  
115(2)/261/262 बीएनएस से सम्बन्धित पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए 01  
अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

दिनांक 28.1.25 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी दिनेश कुमार (लॉकअप मोहरीर) हवालात सदर/सैशन न्यायालय परिसर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि जिला कारागार बागपत से माननीय न्यायालय बागपत पेशी पर आये अभियुक्तों 1.हरेन्द्र उर्फ लाला पुत्र वेदप्रकाश ग्राम खैला थाना चांदीनगर व 2.गौतम पुत्र धर्मवीर जाटव निवासी ग्राम खैला थाना चांदीनगर द्वारा माननीय न्यायालय में पेशी के बाद है0का0 रविन्द्र व है0का0 हरिओम तैनाती पुलिस लाइन बागपत की आंखों में मसाला पाउडर डालकर व नाक व मुंह पर मुक्का मारकर न्यायालय परिसर की दीवार फांदकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 51/25 धारा 115(2)/261/262 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 51/25 धारा 115(2)/261/262 बीएनएस से सम्बन्धित पुलिस अभिरक्षा से फरार होने वाले 01 अभियुक्त हरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**नोट-** उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित पुलिस अभिरक्षा से फरार दूसरे अभियुक्त गौतम पुत्र धर्मवीर जाटव निवासी ग्राम खैला थाना चाँदीनगर की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर लगातार दबिश दी जा रही है एवं शीघ्र गिरफ्तारी की जायेगी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-**

हरेन्द्र उर्फ लाला पुत्र वेदप्रकाश ग्राम खैला थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास अभियुक्त –**

- 1-मु0अ0स0 132/22 धारा 323/352/427/506 भादवि थाना चाँदीनगर जनपद बागपत
- 2- मु0अ0स0 149/24 धारा 324(4)/326(ए)/61(2) बीएनएस थाना चाँदीनगर जनपद बागपत
- 3-मु0अ0स0 155/24 धारा 103(2)/3(5)/61(2) बीएनएस व 3/25/27 ए एक्ट थाना चाँदीनगर जनपद बागपत
- 4-मु0अ0स0 51/24 धारा 115(2)/262/261 बीएनएस थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1-प्र0नि0 श्री दीक्षित कुमार त्यागी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 491 रामुकमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-का0 60 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।